[लोक सभा द्वारा 29.12.2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 280-सी.

[दि इन्सोलवेन्सी एंड बैंक्रप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
का संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

5 (2) यह 23 नवम्बर, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2016 का 31

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

(i) खंड (घ) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(ङ) निगमित ऋणी के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता ;

(च) भागीदारी फर्म और स्वत्वधारी फर्म ; और

(छ) खंड (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यष्टि,"।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) खंड (25) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(25) "समाधान आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, समाधान वृत्तिक को धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन किए गए आमंत्रण के अनुसरण में कोई समाधान योजना प्रस्तुत करता है ;';

(ख) खंड (26) में "किसी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "समाधान आवेदक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) ऐसे संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करना, जो ऐसे मापदंडों को, जो लेनदारों की समिति के अनुमोदन से निगमित ऋणी के कारबार के प्रचालन की जटिलताओं और पैमाने को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा अधिकथित किए जाएं, और ऐसी अन्य शर्तों को, जो बोर्ड द्वारा समाधान योजना या योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट की जाएं, पूरा करते हैं ।"।

नई धारा 29क का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम में, धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वे व्यक्ति, जो समाधान आवेदक होने के पात्र नहीं हैं ।

"29क. कोई व्यक्ति कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का तब पात्र नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या मिलकर कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति—

(क) कोई अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जानबूझकर व्यतिक्रमी है; 1949 का 10

(ग) उसका कोई ऐसा खाता या ऐसे व्यक्ति के या उस व्यक्ति के, जिसका ऐसा व्यक्ति संप्रवर्तक है, प्रबंधतंत्र या नियंत्रण के अधीन किसी निगमित ऋणी का कोई ऐसा खाता है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे वर्गीकरण की तारीख से निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष की अवधि व्यपगत हो 1949 का 10

गई है ;

परन्तु कोई व्यक्ति कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का तब पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने से पूर्व गैर-निष्पादक आस्ति से संबधित सभी अतिशोध्य रकमों का उन पर ब्याज और प्रभारों सहित संदाय कर देता है;

(घ) दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;

2013 का 18

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित है;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों में पहुंच रखने से प्रतिषिद्ध है ;

(छ) जो किसी ऐसे निगमित ऋणी का, जिसमें कोई अधिमानी संव्यवहार, कम-मूल्यांकित संव्यवहार, उद्दापित प्रत्यय संव्यवहार या कपटपूर्ण संव्यवहार हुआ है और जिसकी बाबत इस संहिता के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया है, संप्रवर्तक या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में रहा है ;

(ज) जिसने किसी ऐसे निगमित ऋणी की बाबत किसी लेनदार के पक्ष में कोई प्रवर्तनीय प्रत्याभूति निष्पादित की है, जिसके विरुद्ध ऐसे लेनदार द्वारा दिवाला समाधान के लिए किया गया कोई आवेदन इस संहिता के अधीन ग्रहण कर लिया गया है ;

(झ) जो भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी विधि के अधीन खंड (क) से खंड (ज) के तदनुरूप किसी असमर्थता के अध्यधीन रहा है ; या

(ञ) जिससे कोई ऐसा व्यक्ति संसक्त है जो खंड (क) से खंड (झ) के अधीन पात्र नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संसक्त व्यक्ति" पद से अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समाधान आवेदक का संप्रवर्तक रहा है या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में रहा है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समाधान योजना के क्रियान्वयन के दौरान निगमित ऋणी के कारबार का संप्रवर्तक या प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में होगा ; या

(iii) नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी, सहयुक्त कंपनी या खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का संबद्ध पक्षकार :

परन्तु इस स्पष्टीकरण के खंड (iii) में की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(अ) कोई अनुसूचित बैंक; या

(आ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम. 2002 की धारा 3 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत

कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी; या

(इ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत कोई अनुकल्पी विनिधान निधि ।"।

धारा 30 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) लेनदारों की समिति, किसी समाधान योजना का, उसकी साध्यता और व्यवहार्यता तथा ऐसी अन्य अपेक्षाओं पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विचार करने के पश्चात् वित्तीय लेनदारों के मत के भाग के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत मत द्वारा अनुमोदन कर सकेगी :

परन्तु लेनदारों की समिति, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत की गई किसी समाधान योजना का अनुमोदन नहीं करेगी, जहां समाधान आवेदक धारा 29क के अधीन अपात्र है और जहां उसके पास कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है, वहां समाधान वृत्तिकों से नए सिरे से समाधान योजना आमंत्रित करने की अपेक्षा है :

परन्तु यह और कि जहां पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29क के खंड (ग) के अधीन अपात्र है वहां लेनदारों की समिति द्वारा, समाधान आवेदक को धारा 29क के खंड (ग) के परन्तुक के अनुसार अतिरोध्य रकमों का संदाय करने के लिए ऐसी अवधि अनुज्ञात की जाएगी जो तीस दिन से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक की किसी बात को धारा 12 की उपधारा (3) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विस्तारित अवधि के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कीक जाएगी ।"।

धारा 35 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (च) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु समापक निगमित ऋणी की समापनाधीन स्थावर और जंगम संपत्ति या अनुयोज्य दावों का किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा, जो समाधान आवेदक बनने का पात्र नहीं है ।"।

नई धारा 235क का अंतःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 235 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जहां कोई विनिर्दिष्ट शास्ति या दंड उपबंधित नहीं है वहां दंड ।

"235क. यदि कोई व्यक्ति इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किन्हीं ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस संहिता में किसी शास्ति या दंड का उपबंध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

धारा 240 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(धक) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन अन्य शर्तें ;";

(ii) खड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(बक) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन अन्य अपेक्षाएं ;"।

2017 का अध्यादेश सं0 7

10. (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 निरसित किया जाता है । 5

निरसन और व्यावृत्ति ।

2016 का 31

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

GMGIPMRND—3307LS(CRC)—29-12-2017.